नामुक: जोरावनसिंह V/s कुंवरपाल मु.नं. 1/2012

21/12/18

अभिभाषक उभयपक्ष उप० पक्षकारान ने प्रा०पत्र राजीनामा पेश किया जिसमें कथन किया है कि प्रार्थी ने एक प्रा० पत्र अधीन धारा 15(5) राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य पंचगणों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा करा दिया है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य यह तय हुआ है कि प्रार्थी अपने गत ख० नं० 68/397 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा जिसका वर्तमान नं० 431/68 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा व 432/68 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम म्होर तहसील धौलपुर पर काबिज व अधिपत्यधारी रहेगा एवं इसी प्रकार अप्रार्थी अपने ख० नं० 68 रकबा 1 बीघा जिसका बटे नम्बर 68/401 रकबा पर अप्रार्थी काबिज व अधिपत्यधारी रहेगा जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी एक दूसरे के ख० नं० में किसी प्रकार अतिक्रमण या किसी अन्य प्रकार से कोई विवाद नहीं करेंगे ना ही एक दूसरे से कब्जे से बेदखल करेंगे। प्रार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहता ना ही इस प्रकरण को आगे चलाना चाहता है। प्रार्थी ने प्रा० पत्र धारा 15(5) इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रस्तुत प्रा० पत्र राजीनामा पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा०पत्र अधीन धारा 15(5) इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त विवादित आराजी में सरकार का कोई हित निहित है तो परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें। उक्त आदेशिका एवं प्रा० पत्र धारा 15(5) की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जावे। अधिनस्थ न्याया० का रिकार्ड वापस भेजा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
[राजेश वर्मा]
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner